न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 116/2019

1. उर्मिलादेवी उम्र 61 वर्ष पत्नी स्व. श्री बलवीर जाति जाट निवासी पीपल काबास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2. विकास उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व. श्री बलवीर जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
3. सन्जु उम्र 35 वर्ष पुत्री स्व. श्री बलवीर जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4. सीमा उम्र 37 वर्ष पुत्री स्व. श्री बलवीर जाति जाट निवासी पीपल का बासतहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारेलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति जाट निवासी पीपल काबास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनुं जरिये मैनेजर
3. सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4. नरेशचन्द्र पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5. रामस्वरूप पुत्र जयराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6. रामेश्वरसिहं पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसीलमलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
7. मो. हफीज़ पुत्र मो. हुसैन जाति कायमखानी निवासी धनुरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
8. मंजुर अहमद पुत्र अब्दुल मजीद जाति कायमखानी निवासी धनुरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं।
9. महमुद अहमद पुत्र अब्दुल मजीद जाति कायमखानी निवासी धनुरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं।
10. मो. युनुस पुत्र भाऊदीनखां जाति कायमखानी निवासी धनुरीतहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं (दौराने दावा मृतक)
    10/1 दराज बानो पत्नी मो. युनुस जाति कायमखानी निवासी धनुरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं ।
11. मो. सतार पुत्र भाऊदीनखां जाति कायमखानी निवासी धनुरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
12. कमलादेवी पत्नी रामप्रकाश जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
13. भागोती पत्नी प्रतापसिहं जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
14. राकेशकुमार पुत्र प्रतापसिहं जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
15. राजेन्द्र पुत्र रामप्रकाश जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

147

16. सत्यवीर पुत्र रामप्रकाश जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
17. सुरेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
18. सरोज पुत्री रामप्रकाश जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — श्री विनोद कुमार गिल
वकील अनावेदकगण—श्री विजयसिंह लालपुरिया

प्रार्थनापत्र बाबत किये जाने नपती व किये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 03.12.2024

संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पीपल का बास पटवार हल्का सोनासर में भूमि हाल ख.न. 211 रकबा 3.49 हैक्टर किस्म चाही व ख.न. 211/416 रकबा 01 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.50 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण ने कुआ बना रखा है तथा सिंचाई से दोनों फसल काश्त करते है। प्रार्थीगण के खेत के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की भूमि ख.न. 212 रकबा 1.75 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 1 के खेत की सीमायें लगती है। अप्रार्थी नं. 1 केवल एक फसल काश्त करता है अर्थात अप्रार्थी नं. 1 की सिचिंत भूमि नहीं है।अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थीगण के साथ लगातार सीमा का विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के खेत की तरफ पीलर गाड़कर तारबन्दी की हुई थी जिसको अप्रार्थी नं. 1 ने जानबुझकर तोड़ दिया तथा जाहिर किया कि तारबन्दी के लिये पीलर गलत रूप से रोपे गये है। उक्त तारबन्दी उखाड़ दिये जाने से प्रार्थीगण की काश्त की फसल को पशु आदि नष्ट कर देते है। इस कारण प्रार्थीगण अपने काश्त की भूमि की नपती करवा कर पत्थर गडी करना चाहता है। अप्रार्थी नं.1 बिना नपती व पत्थर गडी के प्रार्थीगण की तारबन्दी में अवरोध पैदा कर रहा है। दिनांक 12.11.2019 को प्रार्थीगण की तारबन्दी अप्रार्थी नं.1 ने काट दिया तथा जो पीलर लगे हुये थे उनको तोड़ दिया इसलिये प्रार्थीगण के खेत में तारबन्दी की सुरक्षा नहीं रही। इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 211, 211/416 की नपती करवाकर पत्थरगडी करवाना चाहता है। जिससे सीमा विवाद का स्थाई समाधान हो सके। दिनांक 12.11.2019 को जब तारबन्दी को अप्रार्थी न0 1 ने तोड़ दिया तब उक्त आवेदन पत्र में श्रीमान जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की उक्त वर्णित भूमि की नपती कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय श्रीमान के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारो तरफ के खातेदार को पक्षकार बनाये जाने हेतु हिदायत दिये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि समीपवर्ती ख0न0 209, 210, 115, 884, 884/925, 885, 886 के खातेदारान को अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 18 पर बतौर पक्षकारान बनाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 4 की ओर से एडवोकेट विजयसिंह लालपुरिया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण के

ury

सीमा से लगते समस्त खातेदारान की भूमि की सही–सही नपती कर उनको संतुष्ट किये जाने के उपरान्त ही पत्थरगडी का आदेश दिया जावे। अनावेदक संख्या 1 की ओर से एडवोकेट विजयसिंह लालपुरिया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में मनगढ़त तथ्य पेश किये है प्रार्थीगण को सीमा बाबत किसी प्रकार की कोई शंका है तो तहसीलदार के यहां आवेदन पर सीमाज्ञान करवाया जाना सकता है चूंकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार व तथ्य हीन होने से खारिज होने योग्य है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 18 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 18की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की भूमि की नपती करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि की भी नपती करवाये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि नपती करवाई जाकर पत्थरगड्डी करवाना चाहते है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपल का बास पटवार हल्का सोनासर स्थित भूमि ख0न0 211, 211/416 कुल किता 2 कुल रकबा 3.50 है0 भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के आवेदन पर नपती कर प्रार्थीगण का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसरज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर